

अंतरिम कार्यवाही दिनांक 28.05.18

अभियुक्त मुरारीलाल की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई बावत् आवेदन पत्र पर से बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

परिवादी पक्ष की ओर से श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र धारा 44 (2) द0प्र0सं0 का वकालतनामा सहित पेश कर अभियुक्त मुरारीलाल की पहचान करते हुये उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण के अवलोकन उपरान्त निवेदन उचित प्रतीत होने से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये।

अभियुक्त की ओर से एक आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 का पेश किया गया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी जाकर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया, जबकि परिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि प्रकरण में परिवादी कंपनी की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आज प्रथम बार स्वतः उपस्थित हुआ है एवं प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना एवं अभियुक्त मजदूर पेशा होकर गरीब व्यक्ति होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आलोक में आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि निम्न शर्तों सहित अभियुक्त की ओर से 20000/-बीस हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे अभिरक्षा से उन्मुक्त किया जावे अन्यथा विधिवत जेल भेजा जावे।

शर्तें:-

1. अभियुक्त नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

आदेशानुसार अभियुक्त मुरारीलाल की ओर से 20 हजार रुपये की

जमानत, जमानतदार श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद शर्मा आयु 57 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 बडा बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ने पेश की तथा अभियुक्त का इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किया गया। जमानतदार की पहचान उपस्थित अधिवक्ता द्वारा की गई। जमानत बाद तशदीक स्वीकार की गई।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 30.05.18 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश विधुत

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)